

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान
राजस्थान, जयपुर
नर्सिंग ऑफिसर/फार्मासिस्ट भर्ती 2022
विस्तृत विज्ञप्ति

क्रमांक:F-100(33)/SIHFW/Recruit-NHM/Pharmacist/2022/7371

दिनांक: 16.11.2022

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान के लिये राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (शीफू), जयपुर द्वारा गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु नर्सिंग ऑफिसर के 1250 पदों एवं 39 सहरिया बैकलॉग पदों एवं फार्मासिस्ट के अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिये 2020 पदों (1927 + 93 बैकलॉग) पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 (यथा संशोधित) में उल्लेखित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। यह पद स्थाई हैं, जिनका संख्या विवरण निम्नानुसार है (विज्ञापित पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है) :-

Name of Post	No. of Post(s)	(UR)				S.C.			S.T.			O.B.C.			M.B.C.			E.W.S.			Horizontal Reservation			Sahariya								
		सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	विच्छिन्न विवाह	विशेष योग्य जन	भूतपूर्व सैनिक	उत्कृष्ट खिलाड़ी	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	विच्छिन्न विवाह				
नर्सिंग ऑफिसर नॉन टीएसपी	1250	228	182	36	09	99	79	16	03	74	60	12	02	130	104	20	05	31	25	05	01	62	50	10	02	50	156	25	3	2	-	-
फार्मासिस्ट नॉन टीएसपी	1746	444	128	50	12	194	55	22	05	145	41	16	04	255	72	29	07	61	18	06	01	122	36	13	03	70	217	34	5	2	-	-
फार्मासिस्ट टीएसपी	181	64	19	07	01	07	02	-	-	57	17	06	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	08	22	03	-	-	-	-

नर्सिंग आफिसर पद हेतु बांरा जिले की सहरिया आदिम जाति वर्ग के 39 बैकलॉग पदों का विवरण

सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	विच्छिन्न विवाह
20	16	03	-

फार्मासिस्ट पद हेतु बैकलॉग के 93 पदों का विवरण

क्षेत्र	वर्ग	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	विच्छिन्न विवाह
गैर अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित जनजाति	34	11	03	-
	सहरिया	01	-	-	-
अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित जाति	02	-	-	-
	अनुसूचित जनजाति	30	09	03	-

नोट :-

1. विज्ञापित पदों में आरक्षण का लाभ अभ्यर्थी को नियमानुसार पात्र श्रेणी में ऑनलाईन आवेदन करने पर ही देय होगा।
2. राजस्थान राज्य के मूल निवासी होने से संबंधित आरक्षण के लाभ हेतु पात्रता के लिए नियमानुसार पिता के नाम से जारी किया गया मूल निवास प्रमाण पत्र/विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
3. राज्य सरकार कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार यदि अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी से विवाह के माध्यम से सम्बन्धित है और वह अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है तो उसे अनुसूचित क्षेत्र का अभ्यर्थी माना जायेगा।
4. विधवा वर्ग की महिला अभ्यर्थी आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं मृतक से अभ्यर्थिया का विवाह होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विच्छिन्न विवाह को भी विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र अर्थात् इस भर्ती हेतु अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तारीख तक सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री प्रस्तुत करनी होगी।
5. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं करते हुए इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
6. महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) प्रवर्गानुसार (Categorywise) फार्मासिस्ट पद हेतु 30 प्रतिशत एवं नर्सिंग आफिसर पद हेतु 50 प्रतिशत होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बन्धित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक हैं, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण:- किसी वर्ग (अनारक्षित वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/सहरिया जन जाति) की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। समस्त महिला आवेदक को आरक्षण के लाभ हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी जाति/कैटेगरी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

7. महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत विच्छिन्न विवाह महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती हैं तो विधवा के लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विच्छिन्न विवाह महिला से भरा जायेगा। इसी प्रकार विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। यदि पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में न भरी गई रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेंगी। पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेंगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं विच्छिन्न विवाह महिला को विवाह विच्छेद का प्रमाण (डिक्री) प्रस्तुत करना होगा। विच्छिन्न विवाह महिला को विवाह विच्छेद का न्यायालय आदेश (डिक्री) इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेंगी। विधवा और विच्छिन्न विवाह सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर दण्डवत आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिला को भी पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।
8. विशेष योग्यजन, उत्कृष्ट खिलाड़ी एवं भूतपूर्व सैनिक के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
9. विज्ञापित पदों के लिये राजस्थान विशेष योग्यजन (समान अवसर, अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) का नियम 2018 के अनुसार विशेष योग्यजन को 4 प्रतिशत आरक्षण दण्डवत रूप से देय होगा। अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग के पदों में समायोजित किया जावेगा। विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 7 जनवरी 2021 में वर्णित पद विशेष (जनरल नर्स/फार्मासिस्ट) के कार्य के लिये पात्र विशेष योग्यजन अभ्यर्थी को 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता होने पर ही उसकी श्रेणी में आरक्षण का लाभ देय होगा। पद विशेष (जनरल नर्स/फार्मासिस्ट) के कार्य के लिये निर्धारित दिव्यांगता श्रेणी वाले पात्र विशेष योग्यजन अभ्यर्थी को 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता होने पर अपनी ही श्रेणी में सामान्य अभ्यर्थी की तरह पात्र माना जायेगा। पद विशेष (जनरल नर्स/फार्मासिस्ट) के कार्य के लिये निर्धारित दिव्यांगता श्रेणी वाले पात्र विशेष योग्यजन अभ्यर्थी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी की दिव्यांगता होने पर इस पद पर भर्ती हेतु किसी भी श्रेणी में आवेदन